आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता हेतु वर्ष 2005–2010 तक के लिये संशोधित मदों की सूची तथा इनकी मानक दरों की पूर्व0 सी0आर0एफ0 दरों से तुलना

(एम.एच.ए. पत्रसंख्या 32–34 / 2007–एन.डी.एम–आई दिनॉक 27 जून 2007)

कम संख्या	मद	सहायता की मानक दरें नई गाइड लाइन	सहायता की मानक दरें पुरानी गाइड लाइन
1	**अहैतुक सहायता**		
	(ए) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता	**रू0 1.00 लाख / प्रति मृतक** • राज्य सरकार से निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का मृत्यु प्रमाण पत्र कि मृत्यु का कारण, वित्त मंत्रालय के सी.आर.एफ. / एन.सी.सी.एफ स्कीम में अधिसूचित, प्राकृतिक आपदा द्वारा है। • अधिसूचित आपदा के उपरॉत राहत कार्य अथवा आपदा पूर्व तैयारी यथा माक ड्रिल आदि में यदि कोई सरकारी सेवक / राहत कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को देय अनुग्रह सहायता रू0 1.00 लाख / प्रति मृतक। • यदि किसी भारतीय नागरिक की अधिसूचित आपदा द्वारा विदेश में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह राहत सहायता अनुमन्य	**रू0 50,000 हजार / प्रति मृतक**

		नही होगी। • इसी प्रकार यदि कोई विदेशी नागरिकता के व्यक्ति की भारत भूमि पर अधिसूचित आपदा से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह राहत सहायता अनुमन्य नही होगी।	
	(बी) किसी अंग या आंख के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता	**(1) रू0 35,000 / प्रति व्यक्ति** (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के मध्य हो।) **(2) रू0 50,000 / प्रति व्यक्ति** (यदिसरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 75 प्रतिशत से अधिक हो।)	**1) रू0 50,000 / प्रति व्यक्ति** (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 40 प्रतिशत से अधिक हो।)
	(सी) गंभीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े।	• **रू0 7,500 / प्रति व्यक्ति** (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।) • **रू0 2,500 / प्रति व्यक्ति** (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रूकने की आवश्यकता हो।)	• **एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रूकने पर** **रू0 5000 / प्रति व्यक्ति**
	(डी) वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	• **रू0 20 / –प्रति वयस्क**, और **रू0 15 / –प्रति अवयस्क**	• **रू0 20 / –प्रति वयस्क**, और **रू0 10 / –प्रति अवयस्क** प्रति दिवस।

		प्रति दिवस।	
	(ई) जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह गये हो/ पूर्णतया छतिग्रस्त हो गये हों/एक सप्ताह से अधिक समय से गम्भीर रूप से जलमग्न हो गये हों उन्हें कपड़े और बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री हेतु सहायता।	• **रू0 1,000/–प्रति परिवार** कपडों के नुकसान पर और रू0 **1,000/–प्रति परिवार** बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।	• **रू0 500/–प्रति परिवार** कपडों के नुकसान पर और रू0 **500/–प्रति परिवार** बर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।
	(एफ) आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता। यह सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास खाद्य संचय न हो, या उनका खाद्य संचय आपदा के फलस्वरूप नष्ट हो गया हो, उनके पास अन्य तात्कालिक सहायता के श्रोत न हो।	• **रू0 20/–प्रति वयस्क, और रू0 15/–प्रति अवयस्क प्रति दिवस।**	• **रू0 20/–प्रति वयस्क, और रू0 10/–प्रति अवयस्क प्रति दिवस।**
3	लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु		
	ए) कृषि प्रयोज्य भूमि की डिसिल्टिंग	• **रू0 6000/– प्रति हैक्टेयरः–** (जहॉ पर, जमॉ रेत/गाद की मोटाई 03 इन्च से अधिक हो। और यह राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो।)	**रू0 5000/ से अनधिक सीमा तक नाबार्ड पैर्टन पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को कमशः 25 प्रतिषत और 33–1/3 प्रतिशत**
	बी) पहाड़ी क्षेत्रो की कृषि भूमि से मलवा हटाने हेतु।	• **रू0 6000/– प्रति हैक्टेयर।**	
	सी) डिसिल्टिंग/पुनर्रस्थापना/ मत्स्य फार्म मरम्मत।	• **रू0 6000/– प्रति हैक्टेयर।** (इस सीमा के अन्तर्गत कि	

		पीड़ित व्यक्ति ने कोई अन्य सहायता/अनुदान का उपभोग न किया हों /किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता/अनुदान हेतु पात्र न हो।)	
	डी) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकॉश भूभाग का नष्ट हो जाना।	• **रू0 15,000/– प्रति हैक्टेयर।** (यह सहायता ऐसे लघु तथा सीमान्त कृषकों को नष्ट हुई भूमि के सापेक्ष अनुमन्य होगी जो राजस्व अभिलेखों में भूमि के विधिक भूस्वामी होंगे।)	• –––––––
	ई) **कृषि निवेश अनुदान जहॉ पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो।**		
	(1) कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिये।	• **रू0 2,000/– प्रति हैक्टेयर** वर्षा सिंचित क्षेत्र में । • **रू0 4,000/– प्रति हैक्टेयर** सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में । (ए) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नही होगा। (बी) लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 250/– से कम नही होगी।	• **रू01000/– प्रति हैक्टेयर** वर्षा सिंचित क्षेत्र में । • **रू02500/– प्रति हैक्टेयर** सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में ।
	(2) बारहमासी फसलें	• **रू0 6,000/– प्रति हैक्टेयर** सभी प्रकार की	• **रू04000/– प्रति हैक्टेयर**

		बारहमासी फसलों के लिये। (ए) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नही होगा। (बी) लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 500/- से कम नही होगी।	
7.	पशुपालनः **लघु और सीमान्त कृषकों /कृषक मजदूरों को सहायता।** (1) सूखे, दुधारू, भारवाहक पशु की प्रतिपूर्ति	**<u>दुधारू पशु</u>** 1) भैंस/गाय/ऊट/याक आदि **रू0 10,000/- की दर से** 2) भेड़/बकरी रू0 **1000/-' की दर से।** **<u>सूखे से सम्बन्धित पशु</u>** 1) ऊट/घोड़ा/बैल आदि **रू0 10,000/- की दर से।** 2) बछड़ा, गधा, खच्चर **रू0 5,000/- की दर से।** • देय सहायता निम्न अनुबन्धों के आधीन होगी- अर्थोत्पादक पशु की वास्तविक क्षति के बावजूद देय सहायता की परिसीमा 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु या एक बड़े सूखे से सम्बन्धित पशु या दो छोटे सूखे से सम्बन्धित पशु प्रति घरेलू इकाई के दर से देय होगी। (पशुधन क्षति, राज्य सरकार के सक्षम	**ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक**

		प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।)	
	(2) पशु कैम्पों में चारा/खाने का प्राविधान।	• बड़े पशु– **रू0 20/– प्रति दिवस।** • छोटे पशु–**रू0 10/– प्रति दिवस।** **<u>सहायता प्रदान करने का समयन्तराल</u>** **(1) सूखे को छोड़ कर अन्य अधिसूचित आपदा में** • अधिकतम 15 दिवस तक। **<u>(2) सूखा</u>** • अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक। • यदि गम्भीर विभीषका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर एन0सी0सी0एफ0 से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।	• रू0 18/– • रू0 09/–
	(3) पशु कैम्पों में पानी की आपूर्ति	• जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य	• केस टू केस के आधार पर किये गये आकलन

		स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें। **<u>सहायता प्रदान करने का समयन्तराल</u>** **1) सूखे को छोड़ कर अन्य अधिसूचित आपदा में** • अधिकतम 15 दिवस तक। **2) सूखा** • अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक। • यदि गम्भीर विभीषका वाले सूखे की स्थिति 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर एन0सी0सी0एफ0 से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।	के अनुसार।
	(5) पशु कैम्पों के बाहर चारे की व्यवस्था	• आपदा के कारण मान्यता प्राप्त चारे के भण्डार से परिवहन पर हुए अतिरिक्त व्यय के समतुल्य (आपदा के	• केस टू केस के आधार पर किये गये आकलन के अनुसार।

		कारण बढ़ी मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु) राहत, मूल्य वृद्धि प्रत्येक स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।	
	(6) उपयोगी पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिगमन	• जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।	• पशुपालन विभाग द्वारा केस टू केस के आधार पर किये गये आकलन के अनुसार राज्य सरकार को प्रस्तुत योजना के अनुसार।
10.	**क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता**	• क्षतिग्रस्त मकान पर प्राधिकृत निर्माण होना चहिये तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने इस बात का विनिश्चय किया हो। • क्षतिग्रस्तता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।	•
	(ए) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान		
	(1) पक्का मकान	• **रू0 25,000/– प्रति मकान**	• **रू0 10,000/– प्रति मकान**

	(2) कच्चा मकान	• **रू0 10,000/– प्रति मकान**	• **रू0 6,000/– प्रति मकान**
	(बी) अधिकॉश क्षतिग्रस्त		
	(1) पक्का मकान	• **रू0 5,000/– प्रति मकान**	• **रू0 2,000/– प्रति मकान**
	(2) कच्चा मकान	• **रू0 2,500/– प्रति मकान**	• **रू0 1200/– प्रति मकान**
	(सी) ऑशिक क्षतिग्रस्त मकान– कच्चा अथवा पक्का (झोपड़ी के अतिरिक्त) (जहॉ पर नुकसान 15 प्रतिशत की सीमा तक हो)	• **रू0 1,500/– प्रति मकान**	• **रू0 800/– प्रति मकान**
	(डी) झोपड़ीः क्षतिग्रस्त/नष्ट	• **रू0 2,000/– प्रति झोपड़ी** • झोपड़ी से आशय– फुस, मिट्टी, प्लास्टिक शीट, आदि से बने अस्थाई निवास जो कच्चे मकान से भी निम्न श्रेणी के हों। जो परंपरागत यप से राज्य/जिला प्राधिकारी द्वारा पहचान में प्रचलित हों।	• ––––––

संलग्नक

(मद संख्या 18 हेतु)

तात्कालिक प्रकृति के कार्यो की चिन्हित सूची

1. पेयजल आपूर्ति

(1) हैंडपंप/कूऑ/स्प्रिंग टैब चेम्बर/पब्लिक स्टैंड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत।

(2) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट की पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त पाइप लेन्थ को नये पाइप से बदलने, जलभण्डारण की सफाई, (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।

(3) क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीन, की मरम्मत, ओवरहेड पानी मण्डारण की मरम्मत, और पानी के पंप की मरम्मत, पहुचने के रास्ते, /घाट, सहित।

2. मार्ग

(1) मार्ग में आयी दरारों और गढ्ढों का भराव, पानी के रास्तों हेतु पाइप का प्रयोग, किनारों की मरम्मत तथा पत्थर से भराव।

(2) खराब टूटे दरार वाले नालों/पुलिया (कलवर्ट) की मरम्मत।

(3) तात्कालिक संपर्क/परिवहन हेतु पानी में बहे पुलों/किनारों/तटों का डाइवर्जन द्वारा सम्पर्क प्रदान करना।

4– पुल/पुल के किनारों/तटों का अस्थाई मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल संपर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/पहुचने के रास्ते की मरम्मत, विभिन्न शरणालय/राहत केन्द्र से आपदा क्षेत्र के मध्य संपर्क मार्ग का मरम्मत परिवहन की पुर्नःस्थापना हेतु।

3. सिचाई

(1) क्षतिग्रस्त नहर संरचना का तात्कालिक मरम्मत, टैंक, छोटे पानी के भण्डारण में कच्चा (अर्थ) तथा पक्का (सीमेंट) कार्य, सीमेंट, सैन्ड बैग, पत्थर के प्रयोग के साथ।

(2) कमजोर क्षेत्र यथा पाइपिंग, सूक्ष्म दरारों, का बॉध की दीवार/तटबन्धों की मरम्मत।

(3) नहर/नालों से खरपतवार/भवन निर्माण सामग्री/मलवों को हटाना।

5. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षतिग्रस्त पहुॅच मार्गों, भवनों, और विद्युत सप्लाई की मरम्मत।

6. पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियॉ

अ. गॉवों की ऑतरिक संपर्क मार्गो का मरम्मत।

ब. ड्रेनेज़/सीवरेज़ से मलवे की निकासी।

स. ऑतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन्स की मरम्मत।

द. स्ट्रीट लाइट की मरम्मत।

य. पंचायतघर, प्राथमिक विद्याालय, सामुदायिक केन्द्र, ऑगनबाड़ी आदि की अस्थाई मरम्मत।